भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 218

सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 /24 अग्रहायण, 1947 (शक)

चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन

†*218. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने चार श्रम संहिताओं अर्थात् मजदूरी संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता, स्वास्थ्य और कार्य स्थल की दशा संबंधी संहिता को देश भर में प्रभावी बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये संहिताएं कब से लागू हो गई हैं;

(ग) किन-किन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने संबंधित नियम बनाने और अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है;

(घ) उक्त श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से कामगारों और नियोक्ताओं के लिए मौजूदा श्रम कानूनों को सरल, युक्तिसंगत और सुचारु बनाने की संभावना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रत्येक श्रम संहिता के अंतर्गत किए गए प्रमुख परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और कर्मचारियों के वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यदशाओं पर उनके संभावित प्रभाव का ब्यौरा क्या है; और

(च) देश के सभी क्षेत्रों में श्रम संहिताओं को सुचारु रूप से, एकसमान और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

* ****

"चार श्रम संहिताओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री सुधीर गुप्ता एवं श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे द्वारा दिनांक 15.12.2025 को पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *218 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) और (ख): केंद्र सरकार ने पिछले 29 केंद्रीय श्रम अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों को समामेलित करने, सरल और युक्तिसंगत बनाने के पश्चात चार श्रम संहिताएं, अर्थात् मजदूरी संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 तैयार की हैं। चार श्रम संहिताएं दिनांक 21 नवंबर, 2025 से पूरे देश में लागू हो गई हैं।

(ग) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अभी इन चार श्रम संहिताओं के अंतर्गत नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पूर्व-प्रकाशित नियमों की संहिता वार स्थिति इस प्रकार है:

(i) मजदूरी संहिता, 2019: 34
(ii) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020: 35
(iii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020: 34
(iv) व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020: 35

(घ) और (ङ): चार श्रम संहिताएं परिभाषाओं और प्राधिकरणों की बहुलता को कम करती हैं**,** प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करती हैं**,** प्रवर्तन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाती हैं। इसके साथ ही**,** यह असंगठित कामगारों सहित कामगारों के लिए उपलब्ध सुरक्षा को मजबूत करती है। श्रम संहिताओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं**:**

मजदूरी संहिता 2019

- पिछले अधिनियम में अनुसूचित नियोजन की तुलना में सभी नियोजनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का सार्वभौमीकरण।
- 'फ्लोर वेज' को सांविधिक बना दिया गया है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। समुचित सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरें न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं होंगी।
- लैंगिक निरपेक्षता (जेंडर न्यूट्रेलिटी) को बढ़ावा देना और ट्रांसजेंडर सहित भर्ती और मजदूरी भुगतान में भेदभाव को प्रतिबंधित करना।
- सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन का भुगतान।
- 50% से अधिक भत्तों को वेतन का हिस्सा बनाया गया है जिससे प्रसूति प्रसुविधा, उपदान, कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ), कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) अंशदान आदि में वृद्धि होगी।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020

- सामूहिक सौदेबाजी को सुविधाजनक बनाने के लिए सांविधिक 'वार्ता संघ' और 'वार्ता परिषद'।
- औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए एक सदस्य के बजाए दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरण। शिकायत निवारण समिति में नियोक्ता और कर्मचारी का समान प्रतिनिधित्व।
- नियत अवधि का रोजगार (एफटीई) शुरू किया गया है जहां एक कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी के बराबर सभी लाभ मिलते हैं। 1 वर्ष की सेवा पूरी होने पर आनुपातिक ग्रेच्युटी।
- उल्लंघनों के लिए दंड को युक्तिसंगत बनाया गया है और अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया गया है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020

- असंगठित कामगारों, गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों सहित सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा कवर।
- रोजगार के नए रूपों को पूरा करने के लिए, एग्रीगेटर, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स की परिभाषाएं निर्धारित की गईं।
- कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) का सार्वभौमिक कवरेज वर्तमान में अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर बढ़ा दिया गया है।
- ईएसआईसी का लाभ स्वैच्छिक आधार पर 10 से कम कर्मचारियों वाले संस्थापनों को दिया गया।
- जोखिमपूर्ण प्रक्रिया से जुड़े एकल कर्मचारी को भी नियोजित करने वाले संस्थापनों के लिए अनिवार्य ईएसआईसी कवरेज।
- कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) का सार्वभौमिक कवरेज, अब 20 या अधिक कर्मचारियों को नियोजित करने वाले सभी संस्थापनों पर लागू होता है। अनुसूची के मौजूदा प्रावधान को हटा दिया गया है।

ओएसएच और डब्ल्यूसी कोड, 2020

- संहिता 10 या अधिक कामगारों वाले सभी संस्थापनों में, और यहां तक कि खतरनाक या जीवन के लिए जोखिम वाले व्यवसाय करने वाले संस्थापनों के एक कर्मचारी के लिए भी व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों को सार्वभौमिक रूप से लागू करने का प्रावधान करती है।
- नियुक्ति पत्र अनिवार्य रूप से जारी करने के माध्यम से रोजगार को औपचारिक रूप प्रदान करना।
- नियोक्ता, निर्दिष्ट आयु से ऊपर के कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच प्रदान करेगा।
- अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगार की परिभाषा का विस्तार किया गया है जिसमें ठेकेदार द्वारा नियोजित प्रवासी कामगार और स्व-प्रवासी कामगार भी शामिल हैं। वे (क) वार्षिक एकमुश्त यात्रा भत्ता, (ख) लाभों की पोर्टेबिलिटी के लिए पात्र हैं।
- महिला कामगारों को उनकी सहमति और सुरक्षा के अध्यधीन रात्रि कार्य सहित सभी प्रकार के कार्य हेतु सभी संस्थापनों में काम करने की अनुमति है।

(च) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के उपरांत चार श्रम संहिताएं पारित की गई थीं। हितधारकों द्वारा की गई टिप्पणियों/उठाए गए मुद्दों को चार श्रम संहिताओं के पारित होने से पहले स्वीकार किया गया था और उनकी जांच की गई थी। इसके अलावा, चार श्रम संहिताओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के साथ कई राष्ट्रीय और क्षेत्रीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए गए। श्रम और रोजगार मंत्रालय, संहिताओं के सुचारू कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित हितधारकों के साथ विचार-विमर्श कर रहा है।

*****